यात्रा भत्ता नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान (2013)

श्रेणी	वेतनमान 1998 मे वेतन	वेतनमान 2008 में	रेल से यात्रा	सड़क से	सड़क यात्राभत्ता** (ड्यूटी स्थान से रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा तक)	इन्सीडेन्टल चार्जेज प्रति प्रति किमी	जयपुर के अतिरिक्त राज्य में दैनिक भत्ता	जयपुर में*		नई दिल्ली मुम्बई, कोलकाता चेन्नई		स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	
								दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लीजिंग	दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लीजिंग	एक मुश्त अनुदान	लगेज प्रति किमी
क	16400 एवं अधिक	37000 एवं अधिक	किसी भी रेलगाड़ी सभी श्रेणी	ए.सी. डीलक्स अर्द्ध डीलक्स उच्चतर श्रेणी बस	जयपुर 60 रु. कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर,उदयपुर 45 रु. अन्य स्थान 25 रु.	7 पैसे	135	170	425	260	650	3000	10
ख	8000 से 16399	19000 से 36999	एसी थ्रीटायर एसी चेयर			5 पेसे	120	150	330	230	505	2500	10
ग	6500 से 7999	15000 से 18999	एसी चेयर नॉन एसी स्लीपर	साधारण एक्सप्रेस या मेल श्रेणी		3 पैसे	105	130	250	200	380	2000	6
घ	4100 से 6499	10000 से 14999	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			3 पेसे	90	110	160	170	245	1500	4.60
ड	0 से 4099	0 से 9999	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			3 पैसे	55	70	85	105	125	1000	4

* ये देरें समस्त राज्यों की राजधनी एवं नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, पूना, अहमदाबाद एवं राज्य के बाहर के पर्वतीय स्थलों पर भी लागू होगी।, ** रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा तक पहुंचने की दूरी की गणना ड्यूटी पाइन्ट/घर से की जायेगी।, 1. कार्यस्थान से हवाई अड्डे तक जाने व वापस आने के लिए मील भत्ता जयपुर व उदयपुर हेतु 100/- रु. तथा जोधपुर व कोटा हेतु 50/- रु., 2. दैनिक यात्रा मुख्यालय में 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य, 6 से अधिक 12 घंटे के लिए 50 प्रतिशत तथा 12 घण्टे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा।, 3. वायुयान की यात्रा में आनुषंगिक प्रभार किराये का 20 प्रतिशत होगा जो कि दैनिक भत्ता यात्रा के 3/4 तक सीमित होगा।, 4. वायुयान से 80000 रु. या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं, 37000 रु. एवं अधिक परन्तु 80000 रु. से कम मूल वेतन आहरित कर रहे अधिकारी इकोनॉमिक क्लास/स्टेण्डर्ड क्लास/निम्नतम क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं।, 5. होटल व्यय में आवास एवं भोजन भी सम्मिलित है और वह विहित अधिकतम सीमा से कम है तो वास्तविक व्यय ही देय होगा।